बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय कक्ष में दिनांक 15.03.2021 को मध्याह्न 12:00 बजे से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की अध्यक्षता में आहूत The State Steering Committee on Accessible Election (SSCAE) के बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा समिति के सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य स्तर पर The State Steering Committee on Accessible Election (SSCAE) का गठन किया गया है, जिसकी बैठक विधान सभा/लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति से 6 माह पूर्व से प्रत्येक दो माह पर एवं शेष अवधि में प्रत्येक 6 माह पर आयोजित की जानी है। उक्त बैठक में PwD निर्वाचकों के मतदान में भागीदारी की चुनौतियों एवं समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाना है। साथ ही उन समस्याओं के समाधान पर भी विचार किया जाना है।

2. निर्वाचक सूची में PwDs निर्वाचकों को श्रेणीवार चिह्नित किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि उक्त PwDs निर्वाचकों की विधान सभावार/मतदान केन्द्रवार सांख्यिकी ERONET में DEO/ERO Login पर उपलब्ध है। दिनांक 07.02.2020 के अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची में PwD निर्वाचकों की संख्या 6,54,734 थी, जो दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2021 के अवसर पर दिनांक 15.02.2021 को अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची में बढ़कर 6,84,892 हो गयी है। कुल चिह्नित PwDs निर्वाचकों की अद्यतन संख्या निम्नवत् है:–

S. N.	State Name	Visually Impaired	Speech/ Hearing Disabled	Locomotor Disabled	Other Disablity	Total
1	Bihar	1,31,114	84,066	3,13,804	2,17,841	6,86,684

सतत् अद्यतीकरण के दौरान PwD निर्वाचकों को श्रेणीवार चिन्हित करने हेतु गंभीर प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से ब्रेल लिपि की जानकारी रखने वाले दृष्टिबाधित मतदाताओं को चिन्हित कर उनका आँकड़ा विभाग को उपलब्ध कराया जाये, ताकि उन्हें ब्रेल–ईपिक वितरित किया जा सके।

(अनुपालन : सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी)

3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा PwD निर्वाचकों के संबंध में The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016 के Section 11, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (Civil)No. 187 of 2004 में दिये गये निर्णय एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विभिन्न निदेशों से भी अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर PwDs एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मतदान हेतु पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गयी थी। इसके लिये मतदान की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पाँच दिनों के अंदर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष फॉर्म 12D में 26094 PwD एवं 39556 80+ निर्वाचकों द्वारा आवेदन दिया गया तथा 20484 PwD एवं 32034 80+ निर्वाचकों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग किया गया।

4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.01.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा कुल 5,511 Wheel Chair खरीदा गया। साथ ही राज्य के सभी PHC एवं APHC में कुल मिलाकर लगभग 2,217 Wheel Chair स्वास्थ्य विभाग द्वारा तथा राज्य के बुनियाद केन्द्रों को कुल 1010 Wheel Chair समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर कुल 12,564 Wheel Chair PwDs एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की मतदान में सहज सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु मतदान केन्द्र पर उपलब्ध कराया गया।

5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि PwD निर्वाचकों के मध्य निर्वाचन संबंधी जागरूकता के प्रचार–प्रसार के लिये बिहार राज्य के सभी जिलों में PwD Icon बनाये गये हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निर्वाचक सूची में पंजीकरण एवं आगामी निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता हेतु सभी जिलों द्वारा स्वीप PwD आईकॉन का सहयोग लिया जाये।

(अनुपालन : सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी)

6. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित PwD App का उपयोग PwD निर्वाचकों को मतदाता सूची में चिन्हित करने, नये PwD मतदाता का पंजीकरण करने, नाम में संशोधन, विलोपन, स्थानांतरण, Wheel Chair का अनुरोध, शिकायत दर्ज करने, मतदान केन्द्र से संबंधित जानकारी, आदि के लिये किया जा सकता है। बैठक में यह भी बताया गया कि विगत बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर PwD App का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने के फलस्वरूप PwD निर्वाचकों द्वारा इसका भरपूर लाभ उठाया गया।

7. सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि विगत बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर राज्य के सभी 1,06,515 मतदान केन्द्रों को PwDs निर्वाचकों के सुविधा हेतु भवन के भूतल पर ही स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प/रेलिंग (Ramp/Railing), ग्रीन कॉरीडोर, पेयजल, शौचालय, शेड, Fingerspelling Alphabet Signage, विद्युत व्यवस्था, प्रतीक्षा कक्ष आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी।

8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर PwD मतदाताओं को मतदान में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से 38 PwD Managed मतदान केन्द्र की स्थापना की गयी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी निर्वाचनों के अवसर पर और अधिक संख्या में PwD Managed मतदान केन्द्रों की स्थापना हेतु कार्रवाई किया जाये।

(अनुपालनः सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी)

9. विगत बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर सभी मतदान केन्द्रों पर लगभग 60,000 Volunteers (जीविका दीदी, प्रखंड संसाधन केन्द्र के कर्मी, विकास मित्र, स्काउट एवं गाइड के Volunteers, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता) की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, ताकि PwD निर्वाचकों को मतदान के दिन सहज मतदान में सहयोग किया जा सके।

10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा सभी सदस्यों को जानकारी दिया गया कि बिहार राज्य में वोटर टर्नआउट में कमी के कारणों का पता लगाने एवं उनमें वृद्धि के कारकों की पहचान हेतु वर्ष 2013 में A.N. Sinha Institute of Social Studies, Patna के माध्यम से Endline Survey कराया गया एवं वर्ष 2015 में Chandragupta Institute of Management, Patna के माध्यम से Endline Survey कराया गया। Survey के निष्कर्षों के आधार पर क्रियान्वयन की कार्रवाई की गयी। लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की भांति बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के पूर्व KAP Baseline Survey तथा निर्वाचन समापन के उपरांत KAP Endline Survey Chandragupt Institute of Management, Patna द्वारा कराया गया है। सर्वे के प्रश्नावली में PwD मतदाताओं से संबंधित प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है।

11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा बताया गया कि 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा e-EPIC (Digital Version) का शुभारंभ किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ईपिक प्राप्त नहीं होने के संबंध में निरंतर शिकायत/परिवाद प्राप्त होते रहते हैं। निर्वाचक सूची के प्रविष्टियों में सुधार/पहचान पत्र खो जाने के उपरांत नया ईपिक मिलने में विलम्ब आदि के समस्याओं के निराकरण हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को यह सुविधा प्रदान की गयी है, जो पूर्व से दी जा रही सुविधा के अतिरिक्त है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आधार और पैन कार्ड की तरह अब ईपिक को भी nvsp.in, Voter Helpline App एवं Voter Portal से डाउनलोड किया जा सकता है। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिनांक 25.01.2021 से यह सुविधा नये पंजीकृत निर्वाचकों के लिये उपलब्ध है, जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2021 के द्वौरान पंजीकृत हुए हैं। इस सुविधा हेतु निर्वाचक का यूनिक मोबाईल नं० E-roll में दर्ज होना आवश्यक है। यदि निर्वाचक का मोबाईल न० निर्वाचक सूची में अपडेट नहीं है, तो इसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट nvsp.in, वोटर हेल्पलाइन एप अथवा वोटर पोर्टल के e-KYC लिंक पर जाकर अपडेट किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित को यह बताया गया कि e-EPIC डिजिटल मतदाता कार्ड प्राप्त करने का वैकल्पिक, सरल और तेज तरीका है। यह प्रिंट योग्य एवं पूर्णतः वैद्य दस्तावेज है। इसमें निर्वाचक की विवरणी और अन्य जानकारी QR Code Protected है।

e-EPIC प्रारंभ होने की तिथि दिनांक 25.01.2021 से ही आम जनता की जानकारी एवं उन्हें जागरूक करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के माध्यम से नियमित रूप से प्रचार किया जा रहा है। आम निर्वाचकों को e-EPIC की सुविधा सहज एवं सरल तरीके से उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के स्तर पर e-EPIC Kiosk स्थापित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में भी e-EPIC Kiosk का संचालन दिनांक 01.02.2021 से प्रारंभ कर दिया गया है। e-EPIC की सुविधा का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने की आवश्यकता है, ताकि सभी निर्वाचकों, खासकर PwD निर्वाचकों को यह सुविधा मुहैया करायी जा सके।

(अनुपालनः सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी)

12. बैठक में बिहार राज्य के सभी बुनियाद केन्द्रों पर PwD मतदाताओं के प्रति संवेदीकरण, सांकेतिक भाषा की प्रारंभिक स्तर की जानकारी तथा निर्वाचन के अवसर पर PwD मतदाताओं की सहायता हेतु स्वयंसेवकों को तैयार करने के लिये नियमित स्तर पर छोटे समूहों में प्रशिक्षण चलाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशिक्षण में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एन०सी०सी०, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता तथा जीवीका के चयनित कार्यकर्त्ता सम्मिलित होंगे। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाजिक सुरक्षा निदेशालय एवं कम्पोजिट रिजनल सेंटर (सी०आर०सी०), पटना आपसी समन्वय करते हुए प्रशिक्षण हेतु अगले 15 दिनों के भीतर प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाजिक सुरक्षा निदेशालय एवं कम्पोजिट रिजनल सेंटर (सी०आर०सी०), पटना)

तत्पश्चात् सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

13/03/2021

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : एस1–1–5/2018 - 1327 पटना, दिनांक 16 मार्च, 2021 ई0।

प्रतिलिपि : समिति के सभी सदस्य– निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार/ निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/ सचिव, आशादीप रिहैब्लिटेशन सेन्टर फॉर द हैंडिकैप्ड, दानापुर कैन्ट, पटना/डॉ0 आशुतोष मिश्रा, सी0आर0सी0, पटना/ सचिव, चाइल्ड कन्सर्न, न्यू बहादुरपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : एस1–1–5/2018 /1327 पटना, दिनांक 16 मार्च, 2021 ई0।

प्रतिलिपि : बिहार राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : एस1–1–5/2018– /1327 पटना, दिनांक 16 मार्च, 2021 ई0।

प्रतिलिपि : सभी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी/सभी प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : एस1–1–5/2018– /1327 पटना, दिनांक 16 मार्च, 2021 ई0।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : एस1–1–5/2018– /1327 पटना, दिनांक 16 मार्च, 2021 ई0।

प्रतिलिपि : श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को पत्रांक 491/ECI/LET/FUNC/SVEEP-II/PwD/NACAE/2019 दिनांक 09.07.2019 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/2021

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।